-प्रेस नोट-

दिनांकः 22-09-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नागल व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 हत्यारोपी पुत्र गिरफ्तार, अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त 01 चाकू बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 24.06.2024 को वादी श्री शिवम पुत्र सजय उर्फ नीटू निवासी पहाडपुर थाना नांगल जिला सहारनपुर द्वारा थाना नांगल पर एक किता प्रार्थना पत्र बावत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के पिता की गला रेतकर हत्या कर देने के सम्बन्ध मे थाना नांगल पर मु0अ0सं0 157/24 धारा 302 भादवि पंजीकृत कराया गया था। विवेचना से अभियुक्त शिवम पुत्र सजय उर्फ नीटू निवासी पहाडपुर थाना नांगल जिला सहारनपुर का नाम प्रकाश में आया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये । आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व मे आज दिनाँक 22.09.2024 को थाना नांगल पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुये हत्यारोपी **अभियुक्त शिवम पुत्र सजय उर्फ नीटू निवासी पहाडपुर थाना नांगल जिला सहारनपुर** को ग्राम पहाडपुर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक चाकू (घरेलू प्रयोग वाला) बरामद । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त शिवम ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरे पिताजी संजय उर्फ नीटू शराब पीने के आदि थे और उल्टे सीधे खर्चे करते थे, गलत संगत मे पड गये थे। मेरे पिता ने घर के बराबर वाले घेर की जमीन व कुछ दिन पहले चार बीघा खेत की जमीन बेच दी थी और पैसो का कोई हिसाब नही लगने दिया कि कहां गये। मेरी शादी भी कुछ दिन पहले ही हुयी है। मै अपने पिता से खर्चे के लिये पैसे मांगता था। तो मुझे व मेरी पत्नि को कोई खर्चा नही देते थे और उल्टा घर मे कलह करते थे। मेरे पिता ने गाँव के कुछ लोगो से कर्जा भी ले रखा था। जिससे मुझे लगा कि इस तरह तो मेरे पिताजी सारी जमीन बेच देंगे। तो मैने पिताजी को ठिकाने लगाने की सोच ली और दिनाँक 23/24.06.2024 की रात्रि को मेरे पिताजी टयूबवैल पर खेत मे पानी चलाने के लिये गये थे, तो रात के समय करीब 12.30 बजे मे अपनी रसोई से चाकू लेकर चुपचाप टयूबवैल पर चला गया तो उस समय मेरे पिताजी मोबाइल फोन पर किसी से बात कर रहे थे तो मै खेत मै छिपकर बैठ गया था और जब मेरे पिताजी टयूबवैल पर चारपाई पर लेटकर सो गये । तभी मैने जोर से चाकू अपने पिता के गले पर मारा और वहाँ से भाग आया और भागते समय चाकू वहीं पास मे नाली मे फैंक कर घर आ गया था। मेरे पिताजी घायल अवस्था मे मोटरसाईकिल से घर आये थे जिन्हे मेरे परिजनो द्वारा इलाज के लिए अस्पताल ले गये थे। मेरे पिताजी की अस्पताल पहूँचकर मृत्यु हो गयी थी। मै उनके साथ अस्पताल नही गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शिवम पुत्र सजय उर्फ नीटू निवासी पहाडपुर थाना नांगल जिला सहारनपुर

विवरण बरामदगीः-

01 अदद चाकू (घरेलू प्रयोग वाला)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नांगल जनपद सहारनपुर
2. निरीक्षक श्री संजीव कुमार प्रभारी स्वाट टीम मय समस्त स्वाट टीम, सहारनपुर
3. निरीक्षक श्री सतपाल भाटी थाना नांगल जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र सिंह थाना नांगल जनपद सहारनपुर
5. उ0नि0 श्री सचिन त्यागी थाना नांगल जनपद सहारनपुर
6. है0का0 389 जितेन्द्र सिंह थाना नांगल जनपद सहारनपुर
7. है0का0 942 अनुज कुमार थाना नांगल जनपद सहारनपुर

दिनांक: 22.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा हत्या की घटना में वांछित 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर मृतक की ई-रिक्शा, ई-रिक्शा की 04 बैटरी, 01 आधार कार्ड, 01 पैन कार्ड, 01 वोटर आईडी कार्ड व घटना में प्रयुक्त सेन्ट्रो कार बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 12.08.2024 को वादी मिनवाक पुत्र इन्तजार नि0 अजीज कालोनी थाना को0देहात जनपद सहारनपुर द्वारा सूचना दी गयी कि वादी का भाई इस्लाम पुत्र इन्जार निवासी अजीज कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर दिनाँक 10.08.2024 को घर से अपनी ई-रिक्शा लेकर गया था तथा वादी का शव चुनमुन के बाग में पड़े होने की सूचना के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 400/24 धारा 103(1) बीएनएस बनाम जुनैद के पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना के अभियुक्तो की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में दिनाँक 21.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए **अभियुक्त 1. जुनैद पुत्र जाकिर नि0 दतौली राँघड थाना को0देहात जनपद सहारनपुर** को दतौली रांघड पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर **मृतक इस्लाम का ई-रिक्सा, 01 मृतक का आधार कार्ड, 01 पैन कार्ड व 01 वोटरआईडी कार्ड** बरामद। तथा आज दिनाँक 22.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर ई-रिक्शा की 04 बैट्रिया खरीदने वाले **अभियुक्त फैजान पुत्र असलम नि0 ग्राम दतौली राघड़ थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर** को निर्माणधीन बाईपास जंगल ग्राम शकलापुरी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त फैजान उपरोक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त के ई-रिक्शा के 04 बेट्री, घटना में प्रयुक्त सेन्ट्रो कार न0- UP11U0550 बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 309(6)/317(2)/238(क) बीएनस की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरण:- अभियुक्त जुनैद ने पुछताछ करने पर बताया कि मैं और इस्लाम एक दूसरे को जानते थे मेरी तरह इस्लाम को भी स्मैक पीता था। हम दोनो ने पहले भी कई बार एक साथ बैठकर स्मैक पी थी। दिनांक 10.08.24 को मैं अपने साथ इस्लाम को स्मैक पीने के लिए उसी की ई रिक्शा में बैठकर हलालपुर के जंगल में चुनमुन के बाग में लेकर गया था। मैने लालच में आकर जानबूझकर इस्लाम को ज्यादा स्मैक पिलाई थी। जब इस्लाम को ज्यादा नशा हो गया था तो मैने इस्लाम को जान से मारने की नियत से अपने दोनो हाथो से इस्लाम का मुँह व नाक दबाकर उसको मार दिया, चूकि इस्लाम मुझे पहले से जानता पहचानता था इसीलिए पकडे जाने के डर से मैने उसकी हत्या की थी तथा मैं उसकी ई रिक्शा लेकर यमुना नहर पर दतौली रांगड जाने वाले रास्ते के पुल के पास नहर की कच्ची पटरी पर ई रिक्शा को छुपाकर अपने गाँव से फैजान पुत्र असलम जो बैटरी खरीदने बेचने का काम करता है, के पास गया था। तब फैजान अपनी सैन्ट्रो कार UP11U0550 में मुझे साथ लेकर नहर पर आया था तथा इस्लाम की ई रिक्शा में से मैने चारो बैटरिया खोलकर फैजान को 14000/- रूपये में बेच दी थी।

अभियुक्त फैजान ने पूछने पर बताया कि दिनाँक 10/08/24 की रात्री में मेरे गाँव का जुनैद पुत्र जाकिर मेरे पास आया था तथा मुझे बताया कि मेरे पास एक चोरी की ई रिक्शा है जिसे मैं नहर की पटरी पर छुपाकर आया हूँ उसकी बैट्री मुझे बेचनी है तब मैं अपनी सैन्ट्रो कार से जुनैद को बैठाकर दतौली रांगड नहर पुल के पास गया था ओर वहाँ पर जुनैद ने मुझे नहर की कच्ची पटरी पर खडी एक ई रिक्शा लाल रंग से चार बैट्रिया खोलकर दी थी चारो बैट्रिया के मैने जुनैद को 14000/. रुपये दिये थे । मैं बैटरियो को सैन्ट्रों कार में रखकर वापस आ गया था। जुनैद स्मैक का नशा करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. जुनैद पुत्र जाकिर नि0 दतौली रांगड थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
2. फैजान पुत्र असलम नि0 दतौली रांघड थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

आपराधिक इतिहास- (जुनैद व फैजान)

1. मु0अ0स0 400/24 धारा 103(1)/309(6)/317(2)/238 बीएएस को0 देहात सहारनपुर (जुनैद व फैजान)
2. मु0अ0स0 06/23 धारा 380/411 भादवि को0 देहात सहारनपुर (जुनैद)

बरामदगी का विवरणः-मृतक हमीद के--

01 ई-रिक्शा

04 ई-रिक्शा की बैटरी

01 आधार कार्ड मृतक का

01 पैन कार्ड मृतक का

01 वोटर आईडी कार्ड मृतक का

01 सेन्ट्रो कार घटना में प्रयुक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री सुनील कुमार शर्मा थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
3. है0का0 839 कपिल राणा थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
4. का0 1551 अमित कुमार थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 22.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 04 वारण्टी अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व मे थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा अलग-अलग मुकदमो में वारण्टी 04 अभियुक्तगण 01.अकित पुत्र पाल्लाराम निवासी मौ0 काजीमल कस्बा सुल्तानपुर थाना चिलकाना सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या-4441/23 धारा 60/468/471भादवि 02.रविन्द्र उर्फ काला पुत्र राजेन्द्र निवासी मौ0 काजीमल कस्बा सुल्तानपुर थाना चिलकाना सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या-4441/23 धारा 60/468/471भादवि0 03.कल्लू उर्फ सुमित पुत्र पालचन्द निवासी ग्राम सलीरी थाना चिलकाना सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या-3962/23 धारा 323,325,504,506 भादवि 04. प्रीतम पुत्र हरि सिह निवासी ग्राम सलीरी थाना चिलकाना सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या-4331/23 धारा 60/63 आबकारी एक्ट । चारों वारंटी अभियुक्तगण को उनके मकसन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. अकित पुत्र पाल्लाराम निवासी मौ0 काजीमल कस्बा सुल्तानपुर थाना चिलकाना सहारनपुर
2. रविन्द्र उर्फ काला पुत्र राजेन्द्र निवासी मौ0 काजीमल कस्बा सुल्तानपुर थाना चिलकाना सहारनपुर
3. कल्लू उर्फ सुमित पुत्र पालचन्द निवासी ग्राम सलीरी थाना चिलकाना सहारनपुर
4. प्रीतम पुत्र हरि सिह निवासी ग्राम सलीरी थाना चिलकाना सहारनपुर

अभियुक्त आंकित उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0-295/16 धारा-60/72 आबकारी अधि0 थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0-258/17 धारा-60/72 आबकारी अधि0 व 468/471 भादवि थाना चिलाकना सहारनपुर
3. मु0अ0सं0-386/17 धारा-60/72 आबकारी अधि0 थाना चिलकाना सहारनपुर
4. मु0अ0सं0-095/19 धारा-60/63 आबकारी अधि0 थाना चिलकाना सहारनपुर

अभियुक्त रविन्द्र उर्फ काला उपरोक्त आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0-258/17 धारा-60 आबकारी अधिनियम व 468/471 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0-235/20 धारा-60 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना सहानपुर।
3. मु0अ0सं0-236/20 धारा-188 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर।

अभियुक्त कल्लू उर्फ सुमित उपरोक्त आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0-22/18 धारा-394/352/504/506 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0-358/17 धारा-323/325/504/506 भादवि थाना चिलकाना सहानपुर।

अभियुक्त प्रीतम पुत्र हरि उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0-161/16 धारा-60 आबकारी अधि0 थाना चिलकाना सहारनपुर।

2. मु0अ0सं0-057/17 धारा-60 आबकारी अधि0 थाना चिलकाना सहानपुर।
3. मु0अ0सं0-176/19 धारा-60/63 आबकारी अधि0 थाना चिलकाना सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0-026/2020 धारा-60/63 आबकारी अधि0 थाना चिलकान सहारनपुर।
6. मु0अ0सं0-027/2020 धारा-10 यू0पी0 गुण्डा एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर।
7. मु0अ0सं0-091/2020 धारा-60/63 आबकारी अधि0 थाना चिलकाना सहारनपुर।
8. मु0अ0सं0-307/2021 धारा-63 आबकारी अधि0 थाना चिलकाना सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री केरन सिंह थाना चिलकाना सहारनपुर
2. है0का0 246 हेमन्त सिंह थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. का01059 अनुज राणा थाना चिलकान सहारनपुर।
4. का0 2252 गुलशन यादव थाना चिलकाना सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक - 22.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 13.06.2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त आदित्य पुत्र नेत्रपाल निवासी जढौदा जट थाना देवबन्द सहारनपुर थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की सूचना के आधार पर थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 112/2024 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.09.2024 को थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमें में वांछित **अभियुक्त आदित्य पुत्र नेत्रपाल निवासी जढौदा जट थाना देवबन्द सहारनपुर** को ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे रजवाहे की पटरी के पास से गिरफ्तार किया गया। नाबालिग युवती को सकुशल बरामद किया गया । गिरफ्तारी व पीडिता के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 366/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आदित्य पुत्र नेत्रपाल निवासी जढौदा जट थाना देवबन्द सहारनपुर थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर

अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 183/22 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट थाना जनकपुरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री विवेक वैद्यवान, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
2. है0कां0 731 पोपिन, थाना जनकपुरी सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 22.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी,सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या व हत्या के प्रयास में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, निशादेही पर आलाकत्ल लोहे का सरिया व लकड़ी का डण्डा बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 17.05.2024 को वादी इमरान पुत्र यामीन नि0 असद कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर की तहरीर पर बाबत वादी के पुत्र अहकाम व जुनैद पर धारदार हथियार से जान से मारने की नियत से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर देने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0स0 199/2024 धारा 307/506 भादवि0 बनाम 1.समीर पुत्र प्रवेज नि0 असद कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर 2.राजा पुत्र महबूब नि0 घोघरेकी थाना को0देहात सहारनपुर व अन्य अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध थाना मण्ड़ी पर पंजीकृत कराया गया था। दौराने उपचार जुनैद उपरोक्त की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त अभियोग मे धारा 302/452/34 भादवि0 की वृद्धि की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एव क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नेमचन्द सिह के कुशल नेतृत्व में प्रकाश मे आये अब्दुल हफीज पुत्र महबूब हसन निवासी घोघरेकी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर को दिनांक 21.09.24 को 62 फुटा रोड की तरफ से अभियुक्त अब्दुल हफीज को गिरफ्तार किया गया अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 लकडी का डण्डा व 01 लोहे का सरिया/रॉड बरामद किये गये। अभियुक्त के विरुद्ध बिधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त अब्दुल हफीज ने पूछताछ पर बताया कि जुनैद मेरी रिस्तेदारी में लड़की से मोबाईल पर बात करता था और उसने उसे मोबाईल भी दे रखा था। इस बात का पता चलने पर मेरे भाँजे समीर उर्फ जुबैर ने ये सारी बाते अपने मामा राजा उर्फ आवेश को बतायी। कई बार जुनैद और उसके भाई अहकाम को चेतावनी भी दी थी कि लडकी से बात करना बन्द कर दे। दिनांक 16/17.05.24 की रात में मैं तथा परवेज व समीर उर्फ जुबैर व अन्य रिश्तेदार अपने हाथो मे लाठा डण्डे व लोहे का सरिया लेकर उसकी बैठक मे घुसे जुनेद और उसका भाई अहकाम अलग अलग चारपाईयो पर सोये हुए थे। इन पर सोते समय लोहे के सरिया आदि से इनके सिर पर वार किये थे। उन्हे मरा जान कर व इनके घर की महिलाओ के जाग जाने पर हम लोग घर से निकल कर भाग गए थे, भागते हुए परवेज ने अपनी लोहे की रोड/सरिया ठिकाने लगाने के लिये मुझे दे दिया था। मैने भागते हुए अपनी डण्डा व परवेज द्वारा दिया गया लोहे का सरिया/रॉड जंगल मे फेंक दिया था। पकडे जाने के डर से मैं इधर उधर छिपा रहा मुझे पता चला कि पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के लिए मेरे पीछे पडी है, और मुझे यह भी आभास था कि यदि पुलिस मुझे पकड लेती है तो मुझसे डण्डा व सरिया/रॉड बरामद करेगी इसलिये आज मै इन्हें जंगल से तलाश कर सही ठिकाने पर लगाने के लिये नहर में फेंकने जा रहा था। तभी पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अब्दुल हफीज पुत्र महबूब हसन निवासी घोघरेकी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 लकडी का डण्डा
- 01 लोहे का सरिया/रॉड

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 100 राहुल त्यागी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. कां0 295 विकेश थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 22.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा फायरिंग की घटना में गिरफ्तार वांछित अभियुक्त से घटना में प्रयुक्त तमंचे की बरामदगी के दौरान पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त घायल, 01 अवैध तमंचा व 01 खोखा कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 21.09.2024 को वादी श्री कादिर पुत्र इरशाद नि0 ग्राम कैलाशपुर की लिखित तहरीर बाबत वादी व वादी के ताऊ के लडके के साथ दिनांक 20.09.2024 को मारपीट व तमन्चों से जान से मारने की नीयत से फायरिंग के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-196/24 धारा-191(1)/191(2)/190/119(1)/352/109/351(3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट बनाम शहरोज आदि कुल 07 व अन्य अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 21.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी तो अभियुक्तगण द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में पुलिस टीम में शामिल उ0नि0 श्री कृष्णवीर सिंह, उ0नि0 श्री प्रवेश शर्मा व का0 टुकेश कुमार को काफी गम्भीर चोटें आयी। पुलिस टीम द्वारा साहस का परिचय देते हुए मौके से **अभियुक्त शहरोज पुत्र अब्दुल वहाब नि0 ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** को 01 अदद दाव सहित ग्राम कैलाशपुर से गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त भीड का फायदा उठाकर मौके से भाग गये। घायल पुलिसकर्मियों को उपचार हेतु जिला अस्पताल सहारनपुर भिजवाया गया। पुलिस पर हमले की घटना के सम्बन्ध में पुलिस की तरफ से थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0सं0- 197/24 धारा-191(1)/191(2)/190/121(1)/121(2)/132/109/352/351(3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम 1- शहरोज पुत्र अब्दुल वहाब, 2- शोएब पुत्र बहरोज, 3- मुन्ना पुत्र आरिफ, 4- गुड्डू उर्फ एहतेशाम पुत्र अब्दुल वहाब, 5- जोएब पुत्र बहरोज, 6- दानिश पुत्र नामालूम व 7- मुसकू पुत्र रियान प्रधान 8- अन्य अज्ञात अभियुक्त समस्त निवासीगण ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर के पंजीकृत किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त शहरोज उपरोक्त ने बताया गया कि जिस तमन्चे से उसने फायर किया था वह तमन्चा उसने आम के बाग में कैलाशपुर मोहिद्दीनपुर रोड पर छिपा रखा है। बाउम्मीद जब पुलिस टीम तमंचे की बरामदगी के लिए अभियुक्त शहरोज को लेकर कैलाशपुर मोहिद्दीनपुर रोड पर आम के बाग में पहुँची तो अभियुक्त द्वारा पुलिसकर्मियों को धक्का देकर तमन्चा उठाकर भागने लगा तथा पुलिस टीम पर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम की जवाबी फायरिंग में अभियुक्त शहरोज उपरोक्त के बाये पैर में गोली लगने से घायल हो गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शहरोज पुत्र अब्दुल वहाब नि0 ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

अभियुक्त शहरोज उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1- मु0अ0सं0- 213/07 धारा- 147/148/333/353/323/307/506 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट व 7 सीएलए एक्ट थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

2- मु0अ0सं0- 196/24 धारा- 191(1)/191(2)/190/119(1)/352/109/351(3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

3- मु0अ0सं0- 197/24 धारा- 191(1)/191(2)/190/121(1)/121(2)/132/109/352/351(3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

01 लोहे का दाव

01 अवैध तमन्चा 315 बोर

01 खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री कृष्णवीर सिंह थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री उपेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री प्रवेश शर्मा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
5. उ0नि0 श्री डैनी कुमार (यूटी) थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
6. उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार (यूटी) थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
7. का0 2482 विनयकान्त थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
8. का0 1345 सुशान्त कपिल थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर